न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

वईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 87/2021
दायर दिनांक :– 20.09.2021

अनवान

घीसा उर्फ गोपाल लाल पिता रामचन्द्र दरोगा नि. आमल्दा तह. जहाजपुर
वादी..........

बनाम

1. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. लादू पिता रामचन्द्र दरोगा नि. आमल्दा तह. जहाजपुर
3. रामभँवर पिता सज्जन सिंह राजपूत नि. आमल्दा तह. जहाजपुर
4. नन्दभँवर पिता सज्जन सिंह राजपूत नि. आमल्दा तह. जहाजपुर
5. मनोहर सिंह पिता सज्जन सिंह राजपूत नि. आमल्दा तह. जहाजपुर
6. पुष्पकँवर बेवा सज्जन सिंह राजपूत नि. आमल्दा तह. जहाजपुर
7. भँवर सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत नि. आमल्दा तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण..........

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री ताराचन्द रेगर, एडवोकेट वादी

:: निर्णय :: दिनांक 16.05.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम आमल्दा प. ह. आमल्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 225/2 कुल किता 01 रकबा 04.11 बीघा तथा आ.न. 748/9 कुल किता 01 रकबा 06.03 बीघा कृषि भूमि वादी एवं अन्य संयुक्त खातेदार के राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादी कम पढा लिखा व्यक्ति है कम पढा लिखा होने के कारण जमाबन्दी में घर का नाम घीसा दर्ज हो गया। जबकि रिकॉर्ड में नाम गोपाल लाल है वादी ने के सी सी लेने हेतु पटवार हल्का आमल्दा से जमीन की चालू जमाबन्दी की नकले ली तब वादी को रिकॉर्ड में नाम घीसा होने की जानकारी हुई। वादी के घर का नाम घीसा हैं व सरकारी सभी दस्तावेजों मे जैसे से राशन कार्ड, पेनकार्ड, किसान कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में खुला रखे बचत खातें की पासबुक की फोटो कॉपी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कार्ड में गोपाल लाल नाम दर्ज हैं वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में घीसा होने से ना तो वह किसी तरह की सरकारी मदद प्राप्त कर सकता है। साथ ही विरासत में भी नाम अलग अलग होने से परेशानी होगी। वादी ने के सी सी के लिये जमाबन्दी की नकले दिनांक 17.07.2021 को ली तब जानकारी हुई की वादी के घर का नाम घीसा राजस्व रेकार्ड मे लिख दिया गया वादी अब राजस्व रेकार्ड मे घीसा उर्फ गोपाल लाल नाम दर्ज करवाना चाहता

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

है। वादी के वाद हेतुक दिनांक 17.07.2021 को राजस्व रेकार्ड की नकले लेने पर दिनांक 17.07.2021 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादीया द्वारा उक्त वादपत्र में प्रतिवादी सं. 2 से 7 को सह खातेदार होने से पक्षकारा बनाया है उनके विरूद्ध दाद नही चाही व प्रतिवादी सं. 1 को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया है। इसलिये उक्त वर्णित भूमि ग्राम आमल्दा क़ी खसरा सं. 225/2 में वादी का नाम घीसा उर्फ गोपाल लाल किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रदान करें एवं ग्राग आमल्दा की खसरा सं. 748/9 में वादी का नाम घीसा उर्फ गोपाल लाल किये जाने की डिक्री वहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सं. 1 व 3 से 7 प्रदान पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनाक 02.05.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो पत्रावली में संलग्न है। रिपोर्ट में बताया कि ग्राम आमल्दा प. ह. आमल्दा की आ.न. 225/2 रकबा 4–11 बीघा किस्म नहरी लगान 7.2800 खातेदार घीसा पिता रामचन्द्र दरोगा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा ग्राम आमल्दा के खसरा नं. 748/9 रकबा 6–03 बीघा किस्म नहरी लगान 9.8400 खातेदार घीसा पिता रामचन्द्र दरोगा 2/3, रामभंवर सिंह, नंद भवर सिंह, मनोहरसिंह पिता सज्जन सिंह, पुष्प कंवर बेवा सज्जन सिंह 1/6, लोकेन्द्र सिंह पिता भंवर सिंह 1/6 राजपूत सा. देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड पहचान पत्र व ग्राम पंचायत आमल्दा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में गोपाल लाल दरोगा पिता रामचन्द्र दरोगा दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक पटवार हल्का रिपोर्ट के साथ प्राप्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व ग्राम पंचायत आमल्दा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर घीसा उर्फ गोपाल लाल पिता रामचन्द्र दरोगा किया जाना उचित बताया है।

वादी ने वाद पत्र की ताईद में खाता सं. 328, 55 की नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, पेनकार्ड की प्रति, किसान कार्ड की प्रति, जन आधार कार्ड की प्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाते की पास बुक की प्रति, वरिष्ठ नागरिक कार्ड की प्रति पेश की, जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की उक्त वर्णित कृषि में वादी का नाम घीसा दर्ज है वादी कम पढा लिखा होने के कारण जमावन्दी में घर का नाम घीसा दर्ज हो गया। जबकि रिकॉर्ड में नाम गोपाल लाल है। वादी के घर का नाम घीसा हैं व सरकारी सभी दस्तावेजों मे जैसे से राशन कार्ड, पेनकार्ड, किसान कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में खुला रखे वचत खातें की पासबुक की फोटो कॉपी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कार्ड में गोपाल लाल नाम दर्ज हैं, वादी के घर का नाम घीसा राजस्व रेकार्ड मे लिख दिया गया। जवकि वादी के अन्य सभी दस्तावेजो मे सही नाम गोपाल दर्ज हैं, मेरे सभी दस्तोवजों के पहचान पत्र एंव बैंक डायरी में मुझ वादी का नाम गोपाल पिता रामचन्द्र

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

दरोगा दर्ज हैं उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करा वादी का नाम शुद्ध करवा कर घीसा पिता रामचन्द्र दरोगा के स्थान पर घीसा उर्फ गोपाल लाल पिता रामचन्द्र दरोगा दर्ज किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी कराना फरमावे।

मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की उक्त भूमि वर्तमान में घीसा पिता रामचन्द्र दरोगा तथा सहखातेदारों के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी खाता सं. 328, 55 की नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 की प्रति से होती है। वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज यथा राशन कार्ड की प्रति, पेनकार्ड की प्रति, किसान कार्ड की प्रति, जन आधार कार्ड की प्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाते की पास बुक की प्रति, वरिष्ठ नागरिक कार्ड की प्रति सभी में नाम गोपाल लाल दर्ज है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार घीसा उर्फ गोपाल लाल पिता रामचन्द्र दरोगा नाम शुद्धि किया जाना उचित बताया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो अनुसार वादी का नाम घीसा पिता रामचन्द्र दरोगा के स्थान पर घीसा उर्फ गोपाल लाल पिता रामचन्द्र दरोगा दर्ज कर शुद्धि किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का नाम संशोधन किया जाना उचित हैं, जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम आमल्दा प. ह. आमल्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 225/2 कुल किता 01 रकबा 04.11 बीघा तथा आ.न. 748/9 कुल किता 01 रकबा 06.03 बीघा भूमि में वादी का नाम घीसा पिता रामचन्द्र दरोगा के स्थान पर घीसा उर्फ गोपाल लाल पिता रामचन्द्र दरोगा का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

घीसा उर्फ गोपाल लाल पिता रामचन्द्र दरोगा नि. आमल्दा तह. जहाजपुर
वादी..........

बनाम

1. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. लादू पिता रामचन्द्र दरोगा नि. आमल्दा तह. जहाजपुर
3. रामभँवर पिता सज्जन सिंह राजपूत नि. आमल्दा तह. जहाजपुर
4. नन्दभँवर पिता सज्जन सिंह राजपूत नि. आमल्दा तह. जहाजपुर
5. मनोहर सिंह पिता सज्जन सिंह राजपूत नि. आमल्दा तह. जहाजपुर
6. पुष्पकँवर बेवा सज्जन सिंह राजपूत नि. आमल्दा तह. जहाजपुर
7. भँवर सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत नि. आमल्दा तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – **88, 89 आर. टी. ए.**
प्रकरण संख्या :– 87/2021

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री ताराचन्द रेगर का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि ग्राम आमल्दा प. ह. आमल्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 225/2 कुल किता 01 रकबा 04.11 बीघा तथा आ.न. 748/9 कुल किता 01 रकबा 06.03 बीघा भूमि में वादी का नाम घीसा पिता रामचन्द्र दरोगा के स्थान पर घीसा उर्फ गोपाल लाल पिता रामचन्द्र दरोगा का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.05.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner